

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: प्रिक्षापन सं. 06/Exam/SI-PC/RPSC/EP-I/2025-26

दिनांक : 17.07.2025

अकोण द्वारा गृह (पुस्तक) विभाग के लिए गैरि अनुसुचित क्षेत्र हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1988 के अन्तर्गत एवं अनुसुचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसुचित सेवा विधानसभा, दिल्लीय वर्गीय और चतुर्थ क्षेत्री सेवा (भर्ती एवं सेवा की अव्याख्या) नियम, 2014 के अन्तर्गत उप निरीक्षक/प्लॉटन कमांडर (Sub Inspector/Platoon Commander) के कुल 1015 पदों पर मर्मी हेतु ऑफिलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की शाखावाद संख्या निम्नानशार है—

पदनाम	कुल रिक्त पद
उप निरीक्षक (एपी)	896
उप निरीक्षक (एपी) सहायिया	4
उप निरीक्षक (एपी) अनुसूचित होत्र	25
उप निरीक्षक (आरडी)	26
स्लाटन कमापदप (आरएसी)	64
योग	1015

नोट :-

उक्ता पढ़ी का उन्नीसार दर्गीकृत्य वृक्षल से आयोन हासा शीध जारी कर दिक्षा जायेगा।

विशेष नोट :-

- अनुसूचित क्षेत्र के अन्यथा गैर अनुसूचित क्षेत्र यी रिक्तियों के विवरण भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अन्यथा अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (**Preference**) आवश्यक रूप से औन्हलाईन आवेदन में नहै। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विवरण गैरवन होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अन्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रयाप्त एवं गतिशीलत्व आधीर कार्यालय द्वारा नाम जाने पर प्रदत्त करना होगा अन्यथा ऊपर आयेंगे।

टिप्पणी— यह अनुसूचित ही ब्र के अधिकारी अनुसूचित ही ब्र में ही कार्य-दोष करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित ही ब्र के पास लिखता है।

2. सभी अपार्टी उपरोक्त दोनों वाचाओं द्वारा उपनिषदीय-Armed Police & Intelligence Bureau एवं लालून कमांडर-Rajasthan Armed Constabulary के संबंध में अपनी प्राप्तमिकता कहने आवश्यक काम से अंकित करें।

नोट १०

- कार्यिका (क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथार्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध न होने की वज्र में उनके लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों को पश्चात्वात् तीन भर्ती वर्षों के लिए अप्रीनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अप्रीनीत की गई रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपरियम के प्रयोगन के लिए संघणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस तप-नियम के अपीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती जाना वह उपलब्ध रिक्तियों का भरा जाना पद आवश्यिति, पिछड़े वर्गों और यथार्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकता जिनके लिए ऐसी विशेष पश्चात्वात् वर्षों में उपलब्ध हो।
 - सञ्चयान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पर्वों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध नहीं होने पर इन पर्वों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
 - किसी वर्ष विशेष में या तो विभाग या विभिन्न विभाग/परिवक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विभागों के लिए आरक्षित रिक्तियों या विभिन्न विभाग/परिवक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में या इसके विपरीत (Vice Versa) रिक्तिया उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया उस प्रवर्ग के पूर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी तिसके लिए विभिन्न आरक्षित रिक्ति परवातवर्ती वर्ष के लिए अप्रीनीत नहीं की जायेगी। विभागों और विभिन्न विभाग/परिवक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर हीतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में व्यवस्थित महिलाओं को भी पहले नहिंता कोटे के पिछड़ समायोजित किया जायेगा।
 - विशेष योग्यतान/निःशक्तजान के लिए वर्षाए एवं पर्वों पात्र आरक्षण हीतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत सामायोजित किया जायेगा।
 - राजसञ्चान सेवा (मूलपूर्व सैनिकों का आवेदन) नियम, 1988 के अनुसार मूलपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार हीतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त मूलपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की सामान्य संख्या अगले भर्ती वर्ष में अप्रीनीत यी जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यवगत हो जायेगी।
 - राजसञ्चान विव्याहजान अधिकार नियम, 2018 के अनुसार यहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचार्क निःशक्तजान की अनुपत्त्वता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आवासी भर्ती वर्ष में अप्रीनीत की जायेगी और यदि आवासी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचार्क निःशक्तजान उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्ता की निधिरित विभिन्न श्रेणियों में अन्तररपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजान उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजान के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकता।
 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं मूलपूर्व सैनिक द्वारा आरक्षित पर्वों का लाय राजसञ्चान राज्य के मूल नियायियों को ही देय है। अन्य जाति के आवेदकों और उक्त लाय देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय शर्वत्व न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित नियन्त्रण दिनांक 30.08.2018 एवं नानीय उच्च न्यायालय, योगपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित नियन्त्रण दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजसञ्चान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपराना राजसञ्चान राज्य की मूल नियासी बन जाती है तो उसे public employment में एसारी/एसटी/ओवरी/एमसी वर्ग में आरक्षण का लाय नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

टिक्की- बिन्दु सरल्या ८१

- १०. शासक का पत्र -**

 - १- Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or State Legislature or declared to be deemed as University Under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or posses an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.
 - २- Working knowledge of Hindi written in Devanagari Script and English.

Note: 1. अन्यथा को माचिरा गैकेनिक अहंता (हीदापिक दोषकला, अनुभव व आम् इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा प्रये ऐसे अन्यथियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुकूल संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
 2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन कारना तथा अहंता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भास्त्रीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की शारा 217 के तहत दण्डनीय अवश्यक है। ऐसे अन्यथी को कालान्तर में कालान्तरिंग/पात्रता ज्ञान/साक्षात्कार के द्वारा तापात्मक प्राप्त जाने

पर दूसरी परीक्षा के ऑनलाइन अवेदन को नियम संतुष्ट करने हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए नई परीक्षाओं से विवरित (Debar) किया जाएगा।

उपर दिए गए कानूनों का अधीन सामाजिक अल्पों का आवास वक्त का पराली में सामाजिक दृष्टि से बहुत ही योग्य समाजिक हो रहा है, इसका व्यापक भी अविवाद कारने की ओर दृष्टि से अधिकारी वर्ग अप्रीयतम् अवालोकन करता है।

यात्रा करना, यसनुसार उस आवागम द्वारा आवागमित संशोधनकार में पूर्ण शामिलक अहंता आजीव करणे का समृद्ध दर्शन होगा।

नाटक - साहित्यकार वा पूर्व ज्ञानव्याकरण का आश्रय साहित्यकार वीर प्रतिभावा प्राप्तम् होने को दिनाक (साहित्यकार का पहला दिन) है।

पै-मिट्रेक्स लिमिटेड L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राष्ट्रीय सांस्कृतिक काल में नियमित मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

दिनांक 01.01.2026 को त्वन्तम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी पाहिजे।

नोट :- उक्त वर्ष आयोग द्वारा वर्ष 2021 में विभागित किये गये हैं। तात्पर्यतानुसार उक्त पदों केरि विभागित जारी नहीं किया गया। अतः जो अपने

दिनांक 01.01.2026 को अधिकारी के होते हैं। उन्हें नियमों में विविध प्रावधानशास्त्र अधिकारी आप सीना से दीन लायी अविभिन्न गति देंगे।

विजयांगी पर्वत के अंतर्गत दक्षिण राशि अस्त्रपत्र में है जिसमें यहाँ / अन्न विभिन्न विधियों से बना है। आपको इसमें से उत्तम का उपयोग करें।

प्राचीन विद्या के लिए अत्यधिक विशेषज्ञ विद्युत विज्ञानी वैज्ञानिक और विद्युत विज्ञान के प्रतिमान हैं।

अस्याद्या ये वर्ष एवं अन्यान् विकल्प शोण्या आपकल्प आप ते वर्ष

प्राप्ति दर्जन का अनुसूचय जारी, अनुसूचित नम्बरों के सम्बन्ध में विवरण वर्ग/आत्म प्रियकार वर्ग/आधारिक लघु संकेतजात वर्ग के पुस्तक

Five Years

and Economically Weaker Sections of Rajasthan State

क्रमांक.	जन्मायवा का वर्ग एवं अन्य विशेषता वर्णन	आधिकारिक आयु न देव सीढ़ी
1.	राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मुख्य Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला Woman Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years

3.	सामान्य (अनारकिला) वर्ग की महिला Woman Candidate belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	भूतपूर्व सेविकों और रिजर्वेट अधिकारी विनाक स्थान कर्मचारी दल से रिजर्व में ड्राफ्टफर हो गया हो, के लिए अधिकारी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age-limit mentioned above shall be 40 years in the case of Ex-Services Personnel and the Reservists, namely the service personnel who are transferred to Reserved.	
5.	राजस्वान राज्य सरकार के कारबोरर में कार्यरत कर्मचारियों तथा कर्तव्य पालन कारबोरर समय नारे गये पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के आधिकारी के लिये अधिकारी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी। 3 Years in case of the candidates belonging to the State Government employees and the dependents of the deceased Police Officers/Officials killed in the discharge of their duties.	
6.	निर्मुक्त आपात कर्मीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कर्मीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेवा से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के सम्मान उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा ताकि उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेवा में कर्मीशन छल्ण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हो। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the army, shall be deemed to be within the age-limit, when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the commission in the Army.	
नोट :- विशेष वर्ग/अन्य विशेष श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य विधि में अधिकारी आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, उक्त ही निष्पत्ती माने जायेंगे।		
नोट -		
1.	उपरोक्त वर्गित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 06 तक के प्रावधान असंबद्धी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यार्थियों को उपरोक्त वर्गित किसी भी एक प्रावधान का अधिकारी आयु सीमा में सूट वा ताप विधा जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों की ओर कर सूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.	कार्मिक (प-2) विभाग के परिवेश दिनांक 26.7.2017 एवं पश्च दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व लैटिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पर्वों हेतु यदि किसी अन्यार्थी द्वारा भूतक के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आमुसीमा, ओक, फिंगिल फिंडनेस आदि) का ताप संलिख जाता है तो उसे सामान्य (अनारकिला) विशेषियों को प्राप्त विधासित नहीं किया जायेगा।	
3.	राजस्वान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिष्ठता की आयु 60 वर्ष नियमित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्यार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
4.	अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अधिकत विधे गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाव की सिवति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मात्र होंगे।	
अन्य विवरण		
प्रयत्न प्रक्रिया	अन्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा, जारीकीकर दबाता प्रकार एवं साकारकर के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तराप्रत्रक/उत्तराप्रस्तिका के मूल्यांकन में स्कोरिंग/गोमेलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। सबधित सेवा नियम के नियम 23 के अनुसार आयोग द्वारा उपस्थुत पाये गए अन्यार्थियों के नाम संब्य सरकार/नियुक्ति प्राविकारी को अनुशृणित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा एवं साकारकर में प्राप्त कुल अंकों के बोग के अनुसार मेरिट (Merit) के त्रैमात्र से अवस्थित होंगे।	
परीक्षा का स्थान एवं मात्र	परीक्षा स्थान व विधि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।	
परीक्षा योजना व पात्रयक्तम्	परीक्षा प्रस्तुतिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। किसी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर प्रवक्त से जारी किया जाएगा।	
आवेदन अवधि	दिनांक 10.08.2025 से दिनांक 08.09.2025 तक 12-00 बजे तक।	
आवेदन प्रक्रिया	<p>1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्विष्यन अन्यार्थी आयोग की वेबसाईट https://rpse.rajastran.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा—निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अवधान अवश्यक रूप से कर लें। तदूपरान्त ही अन्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध अन्यार्थियों के नाम, पिता के लिए अन्यार्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा सकता है, वे अन्यार्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://ssso.rajastran.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।</p> <p>2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अन्यार्थियों को आवेदन की पेबसाईट https://rpse.rajastran.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर उक्ता एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://ssso.rajastran.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अन्यार्थी के नाम, जन्म विधि, लिंग, सैकेप्टरी/साकारा परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्डाज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।</p> <p>3. जिन अन्यार्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा सकता है, वे अन्यार्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://ssso.rajastran.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।</p> <p>4. अन्यार्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात OTR Profile में वयस्य के नाम, पिता के नाम, जन्म विधि, लिंग, सैकेप्टरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व अपलब्ध /SSO प्रोफाइल में अंगित विवरण का ईक्षणिक दस्तावेजों में अकित प्राविकियों से साकारानीपूर्वक नियान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आपार कार्ड / SSO ID की प्राविकियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।</p> <p>Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अन्यार्थी अपने आधार कार्ड में वर्ज प्राविकिय यथा स्वर्य का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जीव/पत्न्य ले करौंकि One Time Registration में तूकना स्वर्य: प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्ष या उससे अधिक पुराई हो तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटीपूर्ण प्राविकिय तथा फोटो को अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवृत्त—पत्र में प्रिंट फोटो का नियान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।</p> <p>5. अन्यार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अन्यार्थी अपनी लाइव पोटा अपलोड करेगा। अन्यार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>6. अन्यार्थी को द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बैंबूं हस्त की अंगूठा नियानी की स्थैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अंगितागर की उपस्थिति ने अन्यार्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृष्ठक से अंगूठा नियानी भी लगाइ जायेगी।</p> <p>7. अन्यार्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा कंदू में उपस्थिति पत्रक पर चल्या करने हेतु साथ लेकर आवेदन करें।</p> <p>8. अन्यार्थियों को शुल्तुलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में शुल्तुलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प आवेदन करने की विधि तक अंगित की जा सकी सभी ईक्षणिक योग्यता/अनुमति का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टत: एवं आवश्यक तौर पर अंगित करें।</p> <p>9. अन्यार्थी आवेदन की अंगित तक अंगित की जा सकी सभी ईक्षणिक योग्यता/अनुमति का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टत: एवं आवश्यक तौर पर अंगित करें।</p> <p>10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होता है और यह आवेदन—पत्र क्रमांक (Application No.) अंगित प्राप्त करने की हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जारी नहीं हुआ है। आवेदन पत्र को Preview को आवेदन Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>11. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय आगर किसी प्रकार जी कोई संबंध्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर समर्पक करें।</p> <p>12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन—लाइन आवेदन करें। गलत जुबना देने/तथा घुमाने पर आयोग अन्यार्थी पर विश्वास लहित नियान करें।</p> <p>13. सामान्यान राज्य के पिछडा वर्ग/अंतिम पिछडा वर्ग की श्रेणी श्रेणी के आवेदक तथा सामान्यान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुभूति जाति/अनुरूपित जाति/अंगित नियान के अन्वयान अंगित होते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</p> <p>14. अन्यार्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लें।</p> <p>15. अन्यार्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर Exam Dashboard का सम्बद्ध समय पर अवलोकन करें वयोंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती/संवधित तमस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृष्ठक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।</p> <p>16. आयोग द्वारा अन्यार्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने की अंगितिका विस्तृत प्राविकियों में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हस्त से भरा हुआ आवेदन—पत्र रखीकर नहीं किया जायेगा। एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>	

1. यदि कोई अन्यथा अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध विश्वासीन नुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अन्यथा का ही होगा।
2. आयोग द्वारा प्रधम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अन्यथा के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अंतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
Note: विश्वासीन विश्वासीन/तालाकशुदा/परिवर्तन नहीं ऑनलाइन आवेदन की अनिन्दित तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विश्वासीन विवाह (DV) किसी जारी होने की रिपोर्ट में ही वर्त परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध करने वाले गवें ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकते।
3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अन्यथा के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन समिक्षा नहीं होगा।
4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अन्यथा को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के नाम्यम से की जायेगी।
5. जनी प्रकार के अनुमति संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् अन्यथा को ड्रुटि सूचा नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अन्यथा से उक्त प्रक्रिया के अंतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त जोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अन्यथा की जोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकलाईय पंजीयन शुल्क :- कार्यक्रम (क-2) विभाग के विभिन्न दिनांक 18.04.2023 के द्वारा जारी नई परीक्षाओं में एकलाईय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है-

- | | |
|--|-------------|
| 1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के छीनीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के छीनीलेयर के अन्यथा - | रुपये 600/- |
| 2. आरक्षित वर्ग (अनुसृत जाति/अनुसृत जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नौन छीनीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नौन छीनीलेयर/आर्थिक लाप से कनाठीर वर्ग/सहरिया आदिन जाति) के अन्यथा - | रुपये 400/- |
| 3. दिव्यांगजन - | रुपये 400/- |

नोट :-

1. राजस्वान राज्य से विन्यास अन्य लायबों के अनुसृतियां जाति/अनुसृतियां जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक लाप से कनाठीर वर्ग के अन्यथाओं को शामान्य वर्ग का अन्यथा माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अन्यथाओं के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. जिन अन्यथाओं द्वारा पूर्व में बन टाईन रजिस्ट्रेशन किया जा सका है, वे अन्यथा भी एसएसओ आईटी द्वारा लॉग इन कर बन टाईन रजिस्ट्रेशन के ऑफिस पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकलाईय पंजीयन शुल्क लगा करवाएं।

एकलाईय पंजीयन शुल्क जब करने के पश्चात् परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होने वाले अन्यथाओं के लिए कार्यक्रम (क-2) विभाग द्वारा परिषत दिनांक 09.05.2023 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है-

- (i) कोई अन्यथा आयोग/बोर्ड व अन्य मर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 नई परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी विधियां अन्यथाओं के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिवर्तित (Block) कर दिया जायेगा।
- (ii) अन्यथा द्वारा शुल्क 750/- रुपये का भुगतान करने वाले पश्चात् ही एकलाईय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः बालू (Unblock) किया जायेगा।
- (iii) एक वर्ष O.T.R. पुनः बालू (Unblock) होने पर यदि अन्यथा उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिवर्तित (Block) कर दिया जायेगा।
- (iv) पुनः प्रतिवर्तित O.T.R. को अन्यथा के द्वारा दाइरे रखने के पश्चात् ही ऑटीआर सुविधा पुनः बालू की जायेगी।

टिप्पणी—यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा विधि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने पर इस परीक्षा में ऑटीआर प्रातिवर्तित करने के साथमें अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अन्यथाओं को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अन्यथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने वाला श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन विनीं जाने का अधिकार यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्यथा को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अन्यथा को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अन्यथा जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अन्यथाओं को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाहित विकित्सा प्रमाण—पत्र, अन्यथा एवं श्रुतलेखक का वयन—पत्र, श्रुतलेखक के कोटों पश्चात् पत्र व शैलांगिक योग्यता के प्रमाण वी प्रतिलिपि कोन्डापीड़क को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अन्यथा जो आयोग/केन्द्राधीनक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अन्यथाओं को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाहित विकित्सा प्रगाण—पत्र, अन्यथा का वयन—पत्र, अन्यथा का वयन—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत वा 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की वृष्टिवर्धित (Blindness), लोकोगोटर विसेपिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता—Both Arms) एवं सोरेडल पास्ट्री श्रेणी वाले अन्यथा द्वारा भागने पर, दिव्यांगता का विकित्सा प्रगाण—पत्र, अन्यथा एवं श्रुतलेखक का वयन—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्पिता के संबंध में मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/विकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रगाण—पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का विकित्सा प्रगाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वयन—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्पिता के संबंध में मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/विकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रगाण—पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का विकित्सा प्रगाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय होगा। ऐसे अन्यथाओं को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विशेष निर्देशों एवं प्रगाण—पत्रों का आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संघीय इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

नियम 14 के अनुलूप Physical fitness:-

- (1) A candidate for direct recruitment of the Service, must be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of Service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of a candidate promoted in the regular line of promotion or who is already serving in connection with the affairs of the State, if he has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts held by him are to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his age has not reduced his efficiency for the purpose.
- (2) Except in the case of women candidates no candidate who is less than 168 Cms in height and whose deflated chest measurement is less than 81 Cms and inflated less than 86 Cms with a minimum 5 Cms expansion of chest shall be deemed to be physically fit;

Provided that:-

- i) the height and weight of women candidates of any category shall not be less than 152 centimetre and 47.5 kilogram respectively, except Saharia candidates.
- ii) candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose height and chest measurements are less by 5 centimetres shall be deemed to be physically fit in case requisite numbers of suitable Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates possessing physical fitness standards as laid down in sub-rule (2) of rule 14 are not available.
- iii) the height of Garhwali and Gurkha candidates shall not be less than 160 centimetre and their deflated and inflated chest must not be less than 79 and 84 centimetre, respectively;

A written Competitive Examination for the post of Sub-Inspector and Platoon Commander shall be conducted by the Commission at such place and time as may be notified by the Commission on the following pattern :-

S. No.	Subject	Duration	Maximum Marks
1	General Hindi	2 hours	200
2	General Knowledge & General Science	2 hours	200

Note :- Syllabus and standards of each subject will be designed in consultation with the Commission

Candidates who obtain 36 percent of marks in each paper and 40 percent in the aggregate shall be deemed to have passed the qualifying examination conducted by the Commission or the Recruitment Board as the case may be. The Commission shall send the list of such successful candidates up to 20 times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained in the written examination.

Provided that relaxation up to 5 marks will be available to candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each paper and in the aggregate.

All candidates who are declared successful in the written examination shall be required to appear before a Physical Efficiency Board, consisting of the Director General-cum-Inspector General of Police or his representative not below the rank of Inspector General of Police, One Deputy Inspector General of Police, One Superintendent of Police/Commandant nominated by the Director General-cum-Inspector General of Police for Physical efficiency test for various districts or group of districts as may be notified. The Physical efficiency test would be vigorous as laid down by the Director General of Police to adjudicate suitability of the candidate. The physical efficiency test shall carry 100 marks and the candidate who secure 50% marks there in, shall be eligible for selection. Candidates who are declared successful in the written test and in the physical efficiency test shall be eligible for aptitude test and interview.

Provided that the number of candidates called for aptitude test and interview shall be restricted to three times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained both in the written and in the physical efficiency test except in the case of scheduled castes and scheduled tribes candidates who shall be eligible for interview in excess of the prescribed limit if they have qualified in the written examination and the physical efficiency test.

The aptitude test and interview of the candidates qualifying physical efficiency test, shall carry 50 marks. The Recruitment Board shall award marks to each candidate in respect of suitability to the post, taking into considerations personality, address, tact, behaviour, specialised training, aptitude for the post, judgment, leadership and knowledge of Rajasthani culture. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate. Candidates holding Degree or Diploma in Criminology or N.C.C. "C" Certificate or who have offered police Administration as one of the papers for the degree examination may be given weight.

RECOMMENDATION

The Commission shall not recommend candidates, who have secured less than 36% marks in interview and 45% marks in aggregate.

Provided that the Commission may recommend women candidates, candidates belonging to the BC, MBC, SC, ST, EWS who though failing to obtain the minimum marks, are declared by Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintain of efficiency of administration, if the candidates secure 30% marks in interview and 40% marks in the aggregates.

नोट:- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सीनियर का आवेदन) नियम, 1988 के नियम 18(A)(i) में विहित प्रावधाननुसार भूतपूर्व सीनियर को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छुट/रियायत दी जायेगी।

उक्त पद छेत्र आवैजित को जाने वाली परीक्षा के लिए औ.एमआर, उत्तरापत्रक में प्रश्नों के विकल्प बास्ते के संबंध में विशेष नियंत्रण-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण नोट/नोट :-

1. अपनी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी अकिता करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संकेती भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से आहता है। ऑनलाइन आवेदन में अकिता मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी बदलने/बदल होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने पर अवलोकीय स्थिति होगी।
2. अप्यर्थी पथासम्बन्धी मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पद्धति में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आवेदन की ओर भेजें।
3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र व्यापारीक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र अनिम स्लॉफ से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविधियों से आशयस्त हो ले कि उन्हीं प्रविधियों सही नहीं गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविधियों यां ही सही नामकर आपोग द्वारा आगे वाली कार्यदाही की जायेगी।
4. अप्यर्थी आवेदक द्वारा नियांत्रित समय सीमा में आवेदन की अनिम दिनांक का इन्स्ट्रुक्शन किये बिना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अप्यर्थी स्थिति प्राप्त होने वाली है।
5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-नियंत्रित अप्यर्थी स्थिति पर आवेदन—पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रतिक्रिया/भूतपूर्व त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सम्पूर्ण अनिम आवेदन—पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/स्त्री/आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संकेती दर्जी प्रविधियों की जांच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सूचारेन के पश्चात् अनिम आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका विन्ड-लेकर उसकी जीवंत आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर किसी भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में संशोधन की नियांत्रित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्लीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अप्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-नियंत्रित अवधार अन्य स्ट्रीट के भरोसे न लें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन—पत्र जाहीं—जाहीं भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अप्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जाने हेतु रखतेर होगा।
6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी में जिम्मेदारी में आवेदन किया जाता है तो उसे अधिकारों का परिचयात् आवेदन होये हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त नियांत्रित अवधि के पश्चात् श्रेणी में सूचार की सूचित/अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य विचार वर्ग/आर्थिक स्लॉफ वर्ग/उत्कृष्ट छिलाडी/भूतपूर्व सीनियर/अनुसूचित क्षेत्र/विचार/विचित्र विवाह/उत्कृष्टसूचा/परिवर्तन/विकलागता/राज्य कर्मचारी/राज्य राजपत्रियता/संशालियक कर्मचारी/विचारीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय उपने वर्ग का स्पाई स्लॉफ से उल्लेख नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्यर्थी को जो कि अपने संबंधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाल विज्ञापित पदों हेतु देव नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग/स्त्री/वर्ग में ही नामकर कार्यवाही की जायेगी। अप्यर्थी/आवेदक द्वारा जिम्मेदारी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरा है तु संबंधित वर्ग/स्त्री संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाइन आवेदन की अनिम लिये से पूर्ण का/राक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अप्यर्थी की पात्रता को अनावश्यक/सूल वर्ग वर्गी लिये लिये के विरुद्ध विचारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अप्यर्थी की होगी।
7. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों ने आयोग द्वारा अननियां (Provisional) स्लॉफ से जीवंत परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनिम स्लॉफ से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उत्स्वीकृत प्रविधियों आवेदन द्वारा सही मान ली गई है। आपोग/जिम्मेदार द्वारा आवेदकों की पात्रता की जीवंत अलग से की जायेगी। अस्थाई स्लॉफ से यथान होने की विश्विति में आवेदक जो विस्तृत आवेदन—पत्र ऑनलाइन भरना होगा एवं उसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां एवं परीक्षा के लिये देव जारी होने की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जीवंत गूल प्रलेखों अथवा फोटो प्रतियों से करने समय देव अप्यर्थी की आयु, सीक्षणिक योग्यता, आरंभित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक स्लॉफ वर्ग/उत्कृष्ट छिलाडी/भूतपूर्व सीनियर/अनुसूचित क्षेत्र/विचार/विचित्र विवाह/उत्कृष्टसूचा/परिवर्तन/विकलागता/राज्य कर्मचारी/राज्य राजपत्रियता/विचारीय कर्मचारी/विचारीय कर्मचारी) तथा विज्ञापन में उल्लेखित अन्य वर्गों के परिणामस्वरूप अप्यर्थी की अपात्रता द्वारा होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी विश्विति भी स्तर की है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अप्यर्थी की होगी।
8. किसी भी परीक्षा में अस्थाई स्लॉफ से करने के उल्लंघन आयोग द्वारा अप्यर्थी को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने हेतु नियांत्रित सम्याप्ति के लिए लिंक द्वारा जायेगा। नियांत्रित सम्याप्ति के उल्लंघन यह लिंक रखते ही नियक्षित हो जायेगा। इसकी उल्लंघन किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्तीकार नहीं किया जायेगा एवं अप्यर्थी की अपात्रता द्वारा होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी विश्विति भी स्तर की है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अप्यर्थी की होगी।
9. मानवीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आयोगसभी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित नियंत्रित नियंत्रित दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक लक विचार/परिवर्तन/विचित्र विवाह/उत्कृष्टसूचा वर्ग में आवेदक नहिल द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विचार/परिवर्तन/विचित्र विवाह/उत्कृष्टसूचा वर्ग का लाल दिया जायेगा।

DR

10. ऑनलाईन आवेदन पत्र मर्जे/ त्रुटी सूचार संशोधन अपारि के पश्चात कोई अस्थर्थी आवर्तितक लूप से दिव्यांग/ विद्युत हो जाता/ जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/ संवैधा परीक्षा/ साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पहुँच वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विद्या हेतु आधार-कार्ड, मूल्य प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (कथा - विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रणाल पत्र, गतवात पहचान पत्र, आधार कार्ड, पसी के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा विवाह लेते निश्चितता प्रमाण-पत्र मर्जे 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क बुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्थीरकर्त्ता होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक वर्ग होने पर प्रथम वर्ग की परीक्षा उपरोक्त अस्थर्थी विवाह/ दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देख होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिट्रैट/ पुनरुत्पलोकन नहीं किया जायेगा।

11. विचित्रन विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्तका महिला अस्थर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्टी (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आलोकन का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवर्तका/ तलाकशुदा/ विचित्रन विवाह आवेदक का तलाक संबंधी प्रकरण/ छद्म माननीय न्यायालय में विवाराधीन/ लम्बित है एवं डिक्टी ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परिवर्तका/ विचित्रन विवाह/ तलाकशुदा श्रेणी/ वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

12. विचित्रन विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्तका श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विद्या महिला को आवेदन की अंतिम दिनांक तक अस्थर्थी विवाह के द्वारा वर्ग/ श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/ श्रेणी संशोधन की विनाक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शृण्ड पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब उक्त पद हेतु विज्ञापन में निर्दिष्ट निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वाहित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सार्वांगी भागदण्ड/ मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में वी गई वाहित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को अतिरिक्त अन्य विकार नहीं किया जायेगा। आवेदक गो प्राप्त विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/ प्रशिक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही प्राप्त नामा जायेगा अन्यथा अपार माना जावेगा।

14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य विकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

15. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत विद्या-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

16. परीक्षा के दोस्रा प्राप्त पत्र/ औपचार विवर/ उत्तर पुरितका में अकित विद्या-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा विद्या-निर्देशों के अनुसार कर्तव्याधीन नहीं किये जाने पर प्राप्त पत्र/ औपचार विवर/ उत्तर पुरितका में किसी प्रकार की गलती/ त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

17. प्रश्न-पत्र में नुक्त होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/ सही होने अथवा उत्तर बुंदी में गलती/ त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद किसीपड़ों के पैनल द्वारा तैयार की गई अनिंत उत्तर बुंदी के आधार पर जारी परिणाम सभी अस्थर्थीयों को भान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्थीरकर्त्ता नहीं होगा।

18. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीनक/ अविजागर/ आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/ परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/ परीक्षाका में किसी प्रकार की शिकायत के होने की स्थिति में लिखित में शिकायत देने के स्वान पर परीक्षा में व्यवहार/ हँगामा करने एवं परीक्षा में अनुचित संघर्षों का प्रयोग/ उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विवर/ आयोग/ केन्द्राधीनक जो भी उचित समझ समस्त शारीरिक कर सकता है। साथ ही परीक्षार्थी के विवर/ उत्तर करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित सांख्यिकीयों की रोकथाम के अध्ययन) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्रवाही की जायेगी।

19. यदि किसी अन्यथी/ परीक्षार्थी को आयोग/ संघ लोक सेवा आयोग/ अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/ परीक्षा में अनुप्रियत सांख्यिकीयों की जायेगी।

20. राज्य कर्मचारी को देय लाभ वथा आयुसीमा में छूट, आलोकन इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अस्थर्थी ही नामे जायेंग, उक्त उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक की वर्ग पिछोप (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक स्तर से कमज़ोर वर्ग/उल्लङ्घन विलासी)/भूतपूर्व संनिक/अनुसूचित क्षेत्र/पिछड़ा/विचित्रज्ञ विभाग/तातोकाशुदा/परिवर्तना/विकलांगता/शास्त्र कर्मवारी/गैर राजपृथिवी कर्मवारी/मन्त्रालयिक कर्मवारी/विभागीय कर्मवारी/अन्य) का लान तब ही देंगे होंगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर भूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जीध में दस्तावेज़ रही पाये गए हों। अतः पात्रता की जीच है निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जाये:-

- कार्यिक (के-2) विनाग के परिपत्र विनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अदिवासी लूप से कबीजोर वर्ग* के अन्यर्थीयों को आखण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण—पत्र औनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा तथा परन्तु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अन्यर्थीयों को इस आवध का शाप्त—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी निकृपित विस्तर की जा सकती।
 - * Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र विनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शाप्त पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विधार किया जायेगा। यदि किसी अन्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।
 - पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में नियास स्थान एवं श्रीमीलैलेश्वर की प्रतिष्ठितां सही—सही एवं पूर्ण नहीं गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर स्थान अधिकारी द्वारा नियासित प्रपत्र पर जारी किया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित नहिला आवेदक को आवश्यक प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, नियास स्थान व आय के आधार पर स्थान प्राधिकारी द्वारा विहित प्राप्तप में नियमानुसार जारी जाती प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र वां साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, नियास स्थान व आय के आधार पर जारी जाती प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लीगीलैलेश्वर के अन्यर्थीयों को आखण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अन्यर्थीयों को Online Application Form में स्थानांश वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र स्थान प्राधिकारी द्वारा नियासित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण—पत्र कार्यिक विनाग की अधिसूचना विनांक 21.10.2018 के अनुसार उत्तर अधिसूचना जारी होने के पश्चात का एवं औनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व वा जारी किया हुआ होना चाहिए।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रमाण पत्र स्थान प्राधिकारी द्वारा नियासित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण—पत्र कार्यिक विनाग की अधिसूचना विनांक 21.10.2018 के अनुसार उत्तर अधिसूचना जारी होने के पश्चात का एवं औनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व वा जारी किया हुआ होना चाहिए।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रियांडिटा नडिला आवेदक वो आवश्यक प्रवर्ग का साम प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व नियास स्थान के अंतरार पर स्थान प्राधिकारी द्वारा विहित प्राप्तप में नियमानुसार जारी जाती प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व नियास स्थान के आधार पर जारी जाती प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - आदिवासी लूप से कबीजोर वर्ग का प्रमाण—पत्र (Income & Assets Certificate) अन्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर स्थान प्राधिकारी द्वारा नियासित प्राप्तप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल नियासी होना चाहिए।
 - Note: विद्याहित नडिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता के पारिवारिक आय के आधार पर जारी जाती प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - शीघ्रपिल/प्रैक्टिशनिक योग्यता/अनुबन्ध आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार विनांक तक (जो भी विज्ञापन में तुलितित हो) अंतिम होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (स्थान प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार नियासित प्रपत्र वा प्रमाण—पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सेकण्डरी परीक्षा प्रमाण—पत्र), विद्याहित* (सम्पूर्ण भारत वर्ग के विसी भी राज्य के स्थान विद्याहित आधिकारी द्वारा जल्दी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण—पत्र जिसमें नियासित की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रिल कर्मचारी, मंत्रीयांशिक कर्मचारी, विधायीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विद्याहित श्रेणी में आवेदन करने वाली नडिला आवेदक के पास पति का मूल्य प्रमाण—पत्र एवं पति के नाम से लिप्त प्रमाण पत्र (पता— विवाह योजना प्रमाण—पत्र, सामान कार्ड, बच्चे का जान्म प्रमाण पत्र, नवाजाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, घटि के नाम से मूल नियास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संसाधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना पास नानीय न्यायालय द्वारा पारित तात्पर सम्बन्धी डिक्री (नानीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोक्यामु में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) औनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परिवर्तका/ विचिन्न विवाह योजना प्रमाण—पत्र, तात्पर कहाँ श्रेणी/वर्ग का जान्म देय नहीं होगा। इसी प्रकार परिवर्तका/तात्पर कहाँ विवाह योजना में आवेदन करने वाली नहिला आवेदक के पास नानीय न्यायालय द्वारा पारित तात्पर सम्बन्धी डिक्री (नानीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोक्यामु में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) औनलाईन आवेदन पत्र

*नोट- निवाशालय दिवार पर्याप्तता के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन विवाहिता प्रमाण पत्र U.D.I.D. / स्पावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।

8. भूतपूर्व सानक के संघर्ष में शायदीन - कार्मिक (क्र-2) विभाग को अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशान अधिकारी कारने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया / गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा / रही है पर उसने संक्षम प्राधिकारी से निराकार प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पर के लिए आवेदन करने का पात्र होगा / होगी। किन्तु पदप्राप्ति से पूर्व उसे सम्मुखित नियुक्ति प्राधिकारी के समष्ट सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सीनियर नियोक्त प्रमाण पत्र (N.O.C.) के आधार पर आवेदन करता / करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता / जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदप्राप्त करावाहि के सिद्धान्त कर सकता और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की कालावधि के भीतर पद घटह करने के लिए अनुमति किया जायेगा। कार्मिक (क्र-4/2) विभाग की पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापूर्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गवाना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सीनियर ने आलज्ञ का लाभ लेने के पश्चात शाजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा प्राप्ति कर ती ही तो रुजस्थान सरकार ये अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सीनियर यी प्राप्तिकरण की तात्पात्र हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन प्राप्ति करने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नायर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सीनियर को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी नियन्त्रक पद, जिसका अनुभव उत्त्वातर पद पर सीधी भर्ती यो लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सीनियर प्रबन्ध के कारबंदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सीनियर राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को प्राप्ति करने से पूर्व, किसीन पदों के लिए आवेदन करता है और संक्षिप्त नियोजक को, रुजस्थान सरकार के अधीन प्राप्तिकरण पद घटह करने से पूर्व, किसीन पद घिनके

- लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-पत्र व्यक्ति के साथ में कोई स्थल घोषणा पत्र/बदलाव देता है तो ऐसे पर्याप्त नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सेविका के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सेविका के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। 'कार्यिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सेविकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सेविकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल नियासी भूतपूर्व सेविकों को ही देय है।'
9. शासन के परिवर्तन अनुमान प-6(19)यृ-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिवर्तन के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति डेटु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना याचनीय होगा।
 10. ऐसा कोई भी अन्यथा, जिसके 01.06.2002 को या उसके प्रतिक्रिया यो से अधिक बच्चों/सन्तानों काले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं तानड़ा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यानां उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ाती ही नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्तरी प्रसव से एक से अधिक बच्चों/सन्तानों पैदा होती है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते राज्य इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई सन्तान जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की सन्तानों की कुल संख्या जीवन करते समय ऐसी संतान जी, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होती जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अन्यथा विवरने पुनर्विवाह किया है जो किसी विवर के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियन के अंतीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होती जाएगी।
 11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित वैक्षणिक वौयला व अनुबन्ध प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 12. विभिन्न विवाह/उल्लक्षण/परिवर्तना श्रेणी की महिला को अंगनलाईन आवेदन की अंतिम विज्ञापक तक एवं विवाह को आवेदन की अंतिम विवरित तक अवश्यकिता के द्वारा वर्ण/श्रेणी संक्षेपित करने पर उसी वर्ण/श्रेणी हासिलांवन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना याचनीय होगा।
 13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संख्या का चार्ट प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चार्ट के सामन्य में कम से कम 'अक्ष' का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
 14. आवेदक को विवरन सुपराना आवश्यक सम्बन्धी पुलिस सरकारी प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राप्तिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में वाहा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषित होने वा प्रकरण/बाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
 15. आवेदक को विवरन उपरान्त साकार प्राप्तिकारी द्वारा जारी विकल्पा जीव सम्बन्धी विकल्पा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राप्तिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्वीकृप है रव्वे राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
 16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा छोटी/राज्य/सरकारी उपकारी विवरनों में नियुक्त है एवं उनका बयन उभयं पर्याप्त हेतु भरी में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 17. अन्यथा की प्रतीका के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सामन्य में विशेष नियम:-

अन्यथा अंगनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकलार्य पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य दिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थीहेतु आवेदन-पत्र यथा अपात्र आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अव्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का सूचार हेतु व्यक्तिका/अंकलाईन प्राप्तिकारी-पत्र/पत्र-पत्र-व्यवहार इत्यादि रव्वे आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सूचार हेतु व्यक्तिका/अंकलाईन प्राप्तिकारी-पत्र/पत्र-पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। मूँहे की आयोग द्वारा अन्यथा की प्रतीका की जांच संबंधित भरी परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अन्यविधी द्वारा प्रस्तुत उपरान्त आवेदन-पत्र से पूर्वी किये वये अंगनलाईन आवेदन-पत्र में भरी माई सूचना की आयोग पर की जाती है, इसलिए अंगनलाईन आवेदन-पत्र में भरी माई सूचना की सही जानकारी होने के अवश्यक हैं अपात्र आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अवश्यक होनी चाही तो अन्यथा का बयन रद्द करने का विवरान आयोग का होगा व इसकी समर्पण विभेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अन्यथा की कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-


यही यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र हेतु समस्त विवरित उपकारी-पत्र की जासूकी है अगर फिर भी आवेदक/इ-प्रिन्ट/अन्य स्तरीय द्वारा नियमे गये अंगनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रलाप की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना इह जाती है एवं उपर्युक्त नियांरित प्रक्रिया अनुसार अन्यथा द्वारा अंगनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संबोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण प्रतीका नहीं रखता है, इस्तेवा के कारण आवेदक का अंगनलाईन विस्तृत आवेदन-पत्र में भरी माई सूचना की आयोग पर की जाती है, इसलिए अंगनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अवश्यक होनी चाही तो अन्यथा का बयन रद्द करने का विवरान आयोग का होगा व इसकी समर्पण विभेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अन्यथा की कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।


अन्य दिन्दु व सूचना :- एकलार्य पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित अन्य दिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा अन्यथा की प्रतीका की जांच संबंधित भरी परीक्षा का परिक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अव्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी ताप्त्य जिम्मेदारी रव्वे आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सूचार हेतु व्यक्तिका/अंकलाईन प्राप्तिकारी-पत्र/पत्र-पत्र-व्यवहार इत्यादि रव्वे आवेदक की जांच संबंधित भरी परीक्षा का परिक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अव्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा। अन्य अन्यथा द्वारा अंगनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अवश्यक होनी चाही तो अन्यथा का बयन रद्द करने का विवरान आयोग का होगा व इसकी समर्पण विभेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अन्यथा की कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

क्रमांक: F. 8-A(02)Exam/SI-PC/RPSC/EP-I/2025-26/ 42

दिनांक : 17.07.2025

प्रतिलिपि:- अंतिमिति नहानियेशक, कार्यालय महानियेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक न-5(2)पु.फौ./उनि.भर्ती/अनु.12/2025/2705 दिनांक 11.07.2025 के ग्राम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।


(रामनंदसिंह)
संयुक्त सचिव


संयुक्त सचिव